



संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/विविध/102/8/2026

Ref: IRDAI/F&I/CIR/MISC/102/8/2026

दिनांक/Date: 07-08-2026

परिपत्र / CIRCULAR

प्रति / To,

सभी जीवन बीमाकर्ता, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

All Life Insurers, General and Health Insurers

विषय: सेवा उत्पादन के सूचकांक के प्रयोजन के लिए मासिक आधार पर बीमाकर्ताओं के द्वारा सूचना का प्रस्तुतीकरण

Sub: Submission of information by insurers on monthly basis for the purpose of Index of Service Production

1. सेवा उत्पादन के सूचकांक (आईएसपी) की तैयारी में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की डेटा अपेक्षाओं को सुसाध्य बनाने के लिए, प्रीमियम आय, निवेश आय और बीमाकर्ताओं के दावों से संबंधित सूचना की आवश्यकता है।
2. साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (पुनर्बीमाकर्ताओं को छोड़कर) से अपेक्षित है कि वे जुलाई 2026 से लेकर आगे सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम, प्रदत्त दावों (प्रत्यक्ष) तथा पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निवेश आय प्रस्तुत करें। जीवन बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे प्रीमियम (सकल), प्रदत्त लाभ (सकल) तथा पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निवेश आय प्रस्तुत करें।
3. उक्त विवरण इस प्रयोजन के लिए निर्मित किये गये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) आनलाइन डेटा टेम्प्लेटों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुबंध क – जीवन बीमाकर्ताओं के लिए डेटा टेम्प्लेट

अनुबंध ख – साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए डेटा टेम्प्लेट

उक्त आनलाइन डेटा टेम्प्लेटों के लिए लिंक अलग से सूचित किया जाएगा।

4. उक्त एनआईसी फार्म के माध्यम से विवरण रिपोर्टिंग महीने के अनुवर्ती माह के 15वें दिन को या उसके पहले प्रस्तुत किये जाएँगे। बीमाकर्ताओं को प्रस्तुति करने के समय यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया जाता है कि प्रस्तुत की गई सूचना संपूर्ण और सही हो।
5. यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ज) के अधीन, सेवा उत्पादन के सूचकांक (आईएसपी) की डेटा आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए जीवन बीमाकर्ताओं, साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को समर्थ बनाने के सीमित प्रयोजन से जारी किया जाता है। ये अपेक्षाएँ बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए अधिनियम, 1999 और उनके अधीन बनाये गये विनियमों के अधीन अपेक्षित वित्तीय विवरणों की तैयारी की आवश्यकताओं के प्रकटीकरण या पद्धति को किसी भी प्रकार से आशोधित नहीं करतीं।

1. In order to facilitate the data requirements of Ministry of Statistics and Programme Implementation (MOSPI) in preparation of Index of Service Production (ISP), information on Premium Income, Investment Income and Claims of insurers is required.
2. General and Health Insurers (excluding Reinsurers) are required from July 2026 onwards to submit Gross Direct Premium, Claims Paid (Direct) and Investment Income of Policyholders and Shareholders. Life insurers are required to submit Premium (Gross), Benefits paid (Gross) and Investment Income for Policyholders and Shareholders.
3. The details shall be submitted through the National Informatics Centre (NIC) online data templates created for the purpose.

Annexure A- Data Template for Life Insurers

Annexure B- Data Template for General and Health Insurers

The link for the online data templates will be shared separately.

4. The details through the NIC form shall be submitted on or before the 15th day of the month succeeding the reporting month. Insurers are advised to ensure that the information furnished is complete and accurate at the time of submission.
5. This circular is issued under Section 14(2)(h) of IRDA Act, 1999, with the limited purpose of enabling life insurers, General and Health Insurers to meet the data requirements of Index of Service Production (ISP). These requirements do not in any manner, modify the disclosure requirements or the manner of preparation of financial statements as required under the Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and the Regulations framed thereunder.

हस्ता./Sd./-

सदस्य (वित्त व निवेश) / Member (F&I)